आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	**वाद सं0–64 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री तौकिर अहमद खाँ एवं अन्य, ग्राम–पिपरा, पंचायत–पिपरा, प्रखण्ड–गढ़वा, जिला–गढ़वा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्रांक–48, दिनांक–10.01.2024 के माध्यम से आयोग को लिखित आवेदन समर्पित किया है। प्रतिवेदन के साथ संलग्न पत्र में शिकयतकर्त्ता एवं अन्य ने लिखित रूप से दिया है कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद उनकी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। उन्हें राशन प्राप्त हो गया है। और उन्हें अब डीलर से कोई शिकायत नहीं है। शिकायतकर्त्ताओं के लिखित हस्ताक्षर प्रतिवेदन के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx24

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267